बाढ़ से हालत खराब, राहत कार्य में तेजी

चंडीगढ़/कुरुक्षेत्र, 1 सितंबर. पंजाब और हरियाणा में बाढ़ और भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. हालात की गंभीरता को देखते हुए भाजपा ने राहत कार्यों को तेज करने के लिए राज्य भर में अपने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियों के साथ मैदान में उतारा है.

वहीं, प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां दिन-रात प्रभावित लोगों की सहायता में जुटी हैं. पंजाब और हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भाजपा ने राहत और बचाव कार्यों को गति देने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई है. भाजपा ने प्रदेश स्तर के नेताओं को विभिन्न जिलों का प्रभारी नियुक्त किया है, जो स्थानीय स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी करेंगे और जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाएंगे. पार्टी द्वारा जारी सूची के अनुसार, कपूरथला की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश को सौंपी, जबकि तरनतारन, फाजिल्का, पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर देहात और गुरदासपुर जिलों की जिम्मेदारी अन्य वरिष्ठ नेताओं को दी गई है. भाजपा का कहना है कि यह कदम राहत कार्यों को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है.

सीएम भजनलाल ने मदद करने भगवंत मान से की बात

जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजनीति से उपर उठकर मानवीय पहल करते हुए प्रदेश के सीमावर्ती पंजाब के फाजिल्का एवं फ़िरोज़पुर ज़िलों में सतलज, व्यास एंव रावी नदी में जल स्तर बढ़ने से बनी बाढ़ की स्थिति में मदद करने के लिए वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्री शर्मा ने श्री मान से फ़ोन पर बात कर पंजाब के ज़िलों में राहत कार्यों के लिये हरसंभव मदद का आश्वासन दिया हैं. राजस्थान के सीमावर्ती ज़िलों के अधिकारियों को पंजाब में पड़ौसी ज़िलों को यथायोग्य मदद करने के निर्देश दिए जिससे किसी भी प्रकार की आपदा में राजस्थान के अधिकारी राहत का काम करेंगे.

> हरियाणा में 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित किया गया है. सिरसा, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र जिलों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. जालंधर में लगातार बारिश के कारण सभी कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया है. जिला उपायुक्त डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने हालात का जायजा लिया और राहत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है.

पीएम मोदी आज करेंगे बिहार राज्य जीविका सहकारी संघ का शुभारंभ

नई दिल्ली. 1 सितम्बर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे और संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपये भी हस्तांतरित करेंगे.

जीविका निधि की स्थापना का उद्देश्य इससे जुड़े सदस्यों को किफायती ब्याज दरों पर धनराशि उपलब्ध करना है. जीविका निधि के सभी पंजीकृत संकुल-स्तरीय संघ इसके सदस्य बनेंगे. संस्था के संचालन के लिए बिहार सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार भी धनराशि देगी. प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को बताया कि जीविका निधि के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में कई छोटे उद्यम और उत्पादक कंपनियां स्थापित हुई हैं. राज्य की महिला उद्यमी अब तक विकल्प के रूप में 18 से 24 प्रतिशत की ऊँची ब्याज दर वाली सूक्ष्म वित्त संस्थाओं पर निर्भर थी. जीविका निधि की व्यवस्था वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली के रूप में की गई है ताकि सूक्ष्म वित्त संस्थानों पर निर्भरता कम की जा सके.

पटना मेट्रो में नियुक्ति के नाम पर ठगी

पटना, 1 सितंबर. पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी के नाम पर ठगों के कई गिरोह राज्य में सक्रिय हो चुके हैं. पटना मेट्रो में नौकरी के नाम पर ठगों का यह गिरोह लोगों से न केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन तरीके से ठगी के नए-नए तरीके अपना रहा है. मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि पीएमआरसीएल के नाम पर कुछ फर्जी विज्ञापन विभिन्न माध्यमों जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई-मेल, एसएमएस, व्हाट्सएप लिंक और अवैध वेबसाइट्स के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे हैं. इन फर्जी विज्ञापनों में पटना मेट्रो में युवकों व युवतियों को नौकरी देने का दावा किया जा रहा है.

सालों बाद सड़क मार्ग से साय पहुंचे दंतेवाड़ा

बाढ़ प्रभावित परिवार के लोगों से की सीधी बातचीत

जगदलपुर, 1 सितंबर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक सड़क मार्ग के जरिए पहुंचे. दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में आकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावित परिवार के लोगों से बातचीत की है.

मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही छत्तीसगढ़ को नक्सल प्रभाव से मुक्त कर लिए जाने का लक्ष्य केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रखा है. इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के वास्ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इसी साल दो बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं. यहां उन्होंने दो बार समीक्षा बैठक की है. एक बार की समीक्षा बैठक में सभी नक्सल प्रभावित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों ने हिस्सा लिया था. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावितों से मिलकर, राहत कार्यों की जमीनी हकीकतों को खुद से देखा और परखा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह साल 2018 में जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक की दूरी सड़क मार्ग के जरिए ही पूरी की थी.

> नक्सल प्रभावित राज्य में एक मुख्यमंत्री का लंबी दूरी तक सड़क मार्ग से आवागमन करना यह बताता है कि राज्य में सुरक्षा का माहौल उम्दा है. नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग नक्शे के लिहाज से तीन हिस्सों में विभाजित है. दक्षिण बस्तर में दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिला आता है. मध्य बस्तर में बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, उत्तर बस्तर में कांकेर जिला आता है. 2018 के बाद, 7 सालों में यह पहला मौका है जब, सीएम ने दंतेवाड़ा तक की दूरी को सड़क मार्ग से तय किया है.

इटावा में भाजपा-कांग्रेस समर्थकों के बीच पथराव, आठ हिरासत में

इटावा, 1 सितंबर. इटावा जिले के कैंट क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पथराव हुआ.

इस मामले में आठ कांग्रेसियों को हिरासत में लिया गया है. नगर पालिका चौराहे पर पुल हुयी पथराव की घटना के बारे में कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन सत्ता के इशारे पर कांग्रेसियों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने में जुटी हुई है जबकि सच्चाई इससे इतर है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छत से भाजपाइयों पर पथराव किया जबकि भाजपा समर्थकों की ओर से नीचे से कांग्रेस जनों पर पथराव किया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इटावा के अपर जिलाधिकारी एसपी सिटी सीओ सिटी समय तमाम अधिकारियों को पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचना पड़ गया. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच करीब एक घंटे के आसपास हंगामे की स्थिति बनी रही. इस बीच उग्र भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने नगर पालिका परिषद के गेट में कैद कर दिया जहां से वह राहुल गांधी कर राहुल गांधी देश छोड़ो के नारे लगाते रहे. पथराव से गुस्साए भाजपाई कांग्रेसियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए.

भाजपा के जिला अध्यक्ष अरुण गुप्ता अन्नू की अगवाई में प्रदर्शन हो रहा है. को लेकर कांग्रेस कार्यालय की सुरक्षा में पुलिस प्रशासन पहले से ही तैनात था. भाजपाइयों पर पथराव करने के मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अश्वनी दीक्षित समेत आठ की संख्या में कांग्रेस जनों को हिरासत में ले लिया गया.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	97751416.	संपत्ति के बदले ऋण	20.08.2025	6,30,872.64/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. भोम सिंह डांगी 2. रामकुंवर हेमराज

संपत्ति का पता: मकान संख्या 177, वार्ड संख्या का वह पूरा टुकड़ा। 9, माताजी मंदिर के पास, गाँव मंडावल, रतलाम, मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल 56.48 वर्ग मीटर यानी 608 वर्ग मीटर। फीट, और उक्त संपत्ति निम्नलिखित से घिरी हुई है: उत्तर: गली, दक्षिण: सड़क जो जनकपुर और विक्रेता के घर के शेष भाग को जाती है, पूर्व: कमल सिंह पुत्र भीम सिंह जी का घर, पश्चिम: 4 फीट चौड़ी गलियारा भूमि जो विक्रेता की है।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	112653627	संपत्ति के बदले ऋण	08.08.2025	5,01,955.20/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. कमल सिंह बाबरी 2. संगीता बाई बाबरी

संपत्ति का पता: मकान संख्या 21 का वह पूरा हिस्सा, क्षेत्रफल: 2240 वर्ग फुट, घर संख्या 22, वार्ड संख्या 12, ग्राम आबादी खसरा संख्या 116, ग्राम खेड़ामोदी, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश में स्थित है और उक्त संपत्ति निम्नलिखित से घिरी हुई है: पूर्व: मोहन बाई, पश्चिम: गोवर्धनलाल, उत्तर: गोवर्धनलाल की कृषि भूमि, दक्षिण: आम रास्त

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक: 02.09.2025
स्थान: मध्यप्रदेश

अमेरिका ने फिलिस्तीनी वीजा पर लगी पाबंदियों को बढ़ाया

वाशिंगटन 1 सितंबर. अमेरिका ने फिलिस्तीनी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा पाबंदियों को बढ़ाते हुए वीजा की लगभग सभी श्रेणियों के अनुमोदन पर रोक लगा दी है.

एक रिपोर्ट के अनुसार कहा कि लगाई गई वीजा पाबंदी में चिकित्सा, विश्वविद्यालय अध्ययन, व्यावसायिक यात्रा, और मित्रों या परिवार से मिलने की श्रेणी के आवेदन भी शामिल हैं. अमेरिकी विदेश विभाग के ये नियम केवल गाजा के निवासियों पर लागू होते थे पर अब नई नीति पश्चिमी तट और पूरे प्रवासी समुदाय में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों पर लागू हो जाएगी. इससे पहले इसी महीने के शुरुआत में ट्रम्प प्रशासन ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सदस्यों के वीजा आवेदन रद्द कर दिए थे. जिससे उनके न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने से रोक लग गई थी. अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है और उसने फिलिस्तीनी नेताओं पर आतंकवाद छोड़ने में विफल रहने का आरोप लगाया.

मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन चौथे दिन जारी

मुंबई, 1 सितंबर. मराठा आरक्षण के आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल सोमवार को चौथे दिन में प्रवेश कर गयी जबकि इस आंदोलन से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने मामले से निपटने के लिए ज्यादा समय की मांग की है. जरांगे ने घोषणा की थी कि वह सोमवार से पानी पीना बंद कर देंगे. उन्होंने अपनी मांग पर अडिग रहते हुए कहा कि मराठाओं को कुणबी के रूप में घोषित करने की मांग की है ताकि उन्हें आरक्षण के लाभ मिल सकें. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार उन्हें यह दर्जा नहीं देती, वह अपना विरोध वापस नहीं लेंगे. महाराष्ट्र में कुणबी एक बड़ा और विविधतापूर्ण किसान समुदाय है. जिसकी पहचान राज्य के कृषि इतिहास और मराठा समुदाय से गहराई से जुड़ी हुई है क्योंकि कई मराठा कुणबी जड़ों से उत्पन्न हुए हैं.

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
कार्यालय प्राचार्य, शासकीय श्री कृष्णाजीराव पवार स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय देवास (म.प्र.)

फोन/फेक्स 07272-221826 Email-kpcollegedewas09@yahoo.com

क्रमांक /2025 देवास, दिनांक 26/08/2025

- बस सेवा हेतु विज्ञप्ति -

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय के विद्यार्थियों लिए निर्धारित रूट से लाने और छोड़ने हेतु एक वाहन बस 52 सीटर प्रतिदिवस लगभग 30-50-80 किमी के लिए ट्रेवल्स एजेन्सी से निर्धारित प्रपत्र में निविदायें आमंत्रित की जाती है इस हेतु आवेदकों से निर्धारित प्रपत्र एवं आवश्यक शर्ते जो कि महाविद्यालय से कार्यालयीन समय पर प्राप्त किये जा सकते हैं या जिनका अवलोकन महाविद्यालय की वैब साईट https://skpcollegedewas.org/ पर किया जा सकता है। भावपत्र प्रकाशन की दिनांक 15 दिवस के अंदर कार्यालयीन समय में आवश्यक रूप से सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें।

प्राचार्य
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस,
श्री कृ. प. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

G18040/25

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, गोगावां
पंजीयन कमांक 112 दिनांक 08.04.1963

वार्षिक आमसभा सूचना-पत्र

कमांक/आमसभा/2025/19 दिनांक 20.08.2025

सम्मानीय सदस्य महानुभाव,

संस्था के समस्त महानुभावो सदस्यो से निवेदन है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, गोगावां की वार्षिक साधारण सभा दिनांक 04.09.2025, वार -गुरूवार समय दोपहर 12.00 बजे संस्था कार्यालय पर की जाना निश्चित किया गया है। साधारण सभा में संस्था की वित्तिय स्थिति एवं वर्ष 2024-25 का लेखा-जोखा सदस्यो के सामने प्रस्तुत किया जावेगा।

आपसे सादर निवेदन है कि आप आमसभा में उपस्थित होने का कष्ट करेंगे।

पर्वतसिंह गेहलोत — **प्रबंधक**
नवीन मुहावरे — **प्रशासक**

आज का इतिहास

- 1783 जॉर्जिया को रूस का संरक्षक बनाया गया।
- 1830 चिली में दास प्रथा समाप्त कर दी गई।
- 1834 पुर्तगाल में लिबरल युद्ध समाप्त हुआ।
- 1870 अमेरिका में पहली अंतरदेशीय रेल सेवा की शुरुआत हुई।
- 1911 भारत के प्रसिद्ध बाँसुरी वादक पन्नालाल घोष का जन्म।
- 1937 प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता मनोज कुमार का जन्म।
- 1944 300 लड़ाकू विमानों ने जर्मनी पर बम गिराए।
- 1945 बंगलोर स्थित विप्रो कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अज़ीम प्रेमजी का जन्म।

कार्यालय प्राचार्य शा. खेल परिसर सरदारपुर (जिला धार)

क्र./अतिथि व्या. नि./2025-26/188 दिनांक 30.08.2025

खेल परिसर सरदारपुर में अतिथि वर्ग-2 व्यायाम निर्देशक पद पर सत्र 2025-20 हेतु कुल दो व्या. निर्देशकों की आवश्यकता है। इस हेतु पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 09.09.2025 शाम 4:00 बजे तक होगी। M.P. Ed/NIS योग्यता वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्राचार्य

इंग्लैंड में एच5एन1 बर्ड फ्लू की पुष्टि

लंदन, 1 सितंबर. इंग्लैंड का दक्षिणी-पश्चिमी हिस्सा एच5एन1 बर्ड फ्लू रोग से पीड़ित है. ब्रिटिश सरकार ने बताया कि इंग्लैंड के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से के गांव एक्समिंस्टर में एक पॉल्ट्री फार्म में एवियन इन्फ्लूएंजा एच5एन1 के प्रकोप की पुष्टि हुई है. ब्रिटिश सरकार ने बताया कि घटनास्थल के चारों ओर 3 किलोमीटर का एक सुरक्षा क्षेत्र और 10 किलोमीटर का निगरानी क्षेत्र स्थापित किया गया है. परिसर में मौजूद सभी पॉल्ट्री फार्मों को मानवीय आधार पर खत्म कर दिया जाएगा.

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वेक्षण संख्या 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्लुर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लघट्टा, बैंगलोर-560071।

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत बैंक को प्रभारित अचल परिसंपत्तियों की बिक्री।

जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने SARFAESI अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने संपत्ति बेचने के लिए पहले ही कई सार्वजनिक नीलामी आयोजित की थीं, लेकिन वे असफल रहीं क्योंकि कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। अतः कृपया सूचित किया जाए कि यदि उपरोक्त ऋण खाते में कुल बकाया राशि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से पंद्रह (15) दिनों के भीतर चुकाई नहीं जाती है, तो प्राधिकृत अधिकारी नीचे बताए अनुसार संपत्ति की निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए आगे बढ़ेंगे। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति, बैंक के बकाया की वसूली के लिए बैंक द्वारा सहमत शर्तों के अनुसार, निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है।

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1. निजी संधि के माध्यम से बिक्री "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है जैसी है" के आधार पर होगी।
2. क्रेता को इस सूचना के प्रकाशन की समाप्ति पर बिक्री मूल्य का 100% जमा करना होगा।
3. बैंक द्वारा क्रय प्रस्ताव को अस्वीकार करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, निर्धारित समय के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
4. क्रेता को संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं की अपनी संतुष्टि के अनुसार उचित जांच करनी चाहिए। क्रेता बाद में इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता के विरुद्ध कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।
5. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी क्रय प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
6. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्क, सोसायटी शुल्क वहन करना होगा।
7. बिक्री SARFAESI अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकताओं का नाम	13(2) मांग सूचना के अनुसार राशि SARFAESI अधिनियम के तहत।	ऋण खाता संख्या
1	30789440000627	1) श्री मुकेश पठारिया पुत्र तोलाराम प्रोपराइटर मै रश्मी पथरिया फाल फ्रूटी, 2) श्रीमती माधुरी पत्नी कालूराम, 3) श्री कालू पठारिया पुत्र तोलाराम	रु. 15,45,570.80/- (पंद्रह लाख पैंतालीस हजार पाँच सौ सत्तर अस्सी पैसे मात्र) 07.11.2022 तक	रु. 5,80,000/- (पाँच लाख अस्सी हजार मात्र)
	सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरणः मकान संख्या 257 की वह समस्त भूमि, जिसका कुल क्षेत्रफल 1045.28 वर्ग फुट है, तथा उस पर निर्मित संपत्ति सहित, लोधी मोहल्ला, महू-नीमच रोड पर स्थित है। वार्ड संख्या 13, पीथमपुर, जिला धार (मध्य प्रदेश)। पूर्व में श्री रमेश पटेल का मकान, पश्चिम में श्री प्रसाद राक एंड रोड का मकान, उत्तर में श्री मुसिन खान का मकान और दक्षिण में श्री छगन पठारिया का मकान।			
2	33049420003735	1) श्री जितेंद्र हनोते, मुंशी हनोते के पुत्र 2) सुश्री पूजा हनोते, पत्नी जितेंद्र हनोते	रु. 21,22,570.76/- (इक्कीस लाख बाईस हजार पाँच सौ सत्तर छयात्तर पैसे मात्र) 17.02.2025 तक	रु. 9,90,000/- (नौ लाख नब्बे हजार मात्र)
	सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरणः आवासीय भूखंड संख्या A-159, कुल क्षेत्रफल 1100 वर्ग फुट (102.23 वर्ग मीटर), पी.एच.4 श्री यू.एस. गोल्ड सिटी कॉलोनी, ग्राम भाटखेड़ी, तहसील महू एवं जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित, पूर्व में कॉलोनी रोड, पश्चिम में प्लॉट संख्या A-154, उत्तर में प्लॉट संख्या अ-160 और दक्षिण में प्लॉट संख्या A-158 से घिरा हुआ।			

उपर्युक्त उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का ध्यान SARFAESI अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अंतर्गत उपर्युक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से पहले बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों सहित उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान किया जाता है।

पत्राचार पताः श्री रंजन नाइक (मोबाइल नंबर 6362951653) और ईमेलः ranjan.naik@janabank.com जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, (पूर्व में मेसर्स जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), जिसका शाखा कार्यालय प्लॉट नंबर 306ए, स्कीम नंबर 54, पीयू-4, कंट्री इन होटल के पास, मेन एबी रोड, विजय नगर, इंदौर - 452001 में स्थित है।

दिनांकः 02.09.2025, स्थानः इंदौर — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड

कार्यालय नगर पालिका परिषद खरगोन म.प्र. जिला खरगोन

क्र. 175/9 / राजस्व-लीज / 2025 खरगोन दिनांक:-01.09.2025

:: सार्वजनिक सूचना ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, निकाय स्वामित्व के (1) श्रीमति जैनब बाई पति ताहेर अली को बस स्टेण्ड के बाहर खंडवा रोड से फव्वारा चौक स्थित दुकान नं. 18, साईज 161.28 वर्गफुट (2) श्रीमति जैनब बाई पति ताहेर अली को बस स्टेण्ड के अंदर ब्लाक सी स्थित दुकान क्र. 05 साईज 140 वर्गफुट (3) श्रीमति जैनब बाई पति ताहेर अली को बस स्टेण्ड के अंदर सी ब्लाक, स्थित दुकान क्र. 05, साईज 182 वर्गफुट (4) श्रीमति जैनब बाई पति ताहेर अली को बस स्टेण्ड के बाहर फव्वारा चौक स्थित दुकान क्र. 17 साईज 190 वर्गफुट, (5) श्री संदीप पिता कृष्णलाल महाजन को एम.जी. रोड स्थित दुकान नं. 92 साईज 112 वर्गफुट, (6) श्री नोबल पिता शांतिलाल संचेती को जवाहर मार्ग स्थित छत सहित दुकान क्र. 17 साईज 180+220 वर्गफीट, (7) श्री नोबल पिता शांतिलाल संचेती को जवाहर मार्ग स्थित छत क्र.. 16. साईज 220 वर्गफुट, (8) श्री ओमप्रकाश पिता बालकृष्ण एवं अभय ओमप्रकाश को नुतन नगर स्थित ब्लाक 121 साईज 6000 वर्गफुट, (9) श्री शिवम पिता प्रदीप वर्मा एवं गायत्री शिवम वर्मा को गांधी नगर स्थित ईएसडब्ल्यू-66, साईज 450 वर्गफुट (10) श्रीमति रेहाना खान पति इस्माईल खान को राजेन्द्र नगर स्थित भूखण्ड क्र. 33 साईज 2000 वर्गफुट (11) श्रीमति मसर्रत पति अतीक मोहम्मद मिर्जा को राजेन्द्र नगर स्थित भूखण्ड क्र. 14 साईज 2000 वर्गफुट (12) श्री मोहम्मद अनिस पिता मोह. अकबर खान को सहकार नगर स्थित भूखण्ड क्र. 06 साईज 800 व.फु. (13) श्री अफलाक पिता अलताफ मिर्जा को राजेन्द्र नगर स्थित भूखण्ड क्र. 27 साईज 1750 वर्गफुट . (14) श्री शफी मोहम्मद खान पिता श्री हफीज खान को राजेन्द्र नगर स्थित भूखण्ड क्र. 15 साईज 1500 वर्गफुट (15) श्री अमानाराम पिता हरकाराम प्रजापति को गांधी नगर स्थित ईडब्ल्यूएस-25, साईज 450 वर्गफुट, (16) श्रीमति आयशा बी पति श्री अ. रसीद मुलतानी को तिलकपथ स्थित दुकान क्र. 02 साईज 130 वर्गफुट (17) श्री पुरूषोत्तम सुखलाल चौहान को गांधी नगर स्थित ईडब्ल्यूएस-02, साईज 450 वर्गफुट, (18) श्री आशीष पिता शांतिलाल जैन जवाहर नगर स्थित भूखण्ड क्र. 37 साईज 1850 वर्गफुट, (19) श्री आशीष पिता शांतिलाल जैन जवाहर नगर स्थित भूखण्ड क्र. 38 साईज 1500 वर्गफुट, (20) श्री रफीक खान पिता सुफी खान, सहकार नगर स्थित भूखण्ड क्र. 10 साईज 1500 वर्गफुट, (21) श्री सलीम मंसुरी पिता सरदार मंसुरी, राजेन्द्र नगर स्थित भूखण्ड क्र. 37 साईज 1750 वर्गफुट, (22) श्री शब्बीर हुसैन पिता इमदाद अली एम जी रोड फ्रूट मार्केट स्थित प्रथम तल हाल भवन क्र. 01 साईज 525 वर्गफुट. (23) श्री सेवकराम मंशाराम पाटीदार, व रेखा पति कमलेश के नाम से दाता हनुमान मंदिर के पास भूतल की दुकान क्र. 04 साईज 226.6 वर्गफुट, (23) श्री सेवकराम मंशाराम पाटीदार, व रेखा पति कमलेश के नाम से दाता हनुमान मंदिर के पास भूतल की दुकान क्र. 04 साईज 226.6 वर्गफुट (24) श्री सुरेशचदं गुलाबचंद गुजराती, जवाहर नगर को एम.आई.जी. भूखण्ड क्र. 64 (25) श्री मनीष पिता रमाकांत बजाज एवं अक्षत पिता मनीष को टैगौर पार्क को ब्लाक नं. 71 साईज 2520 व.फु (26) श्री सुधीर कुमार गोपालकृष्ण ठक्कर को जवाहर नगर स्थित भूखण्ड क्र. 48 साईज 1500 व.फु (27) श्रीमति नफीसा शब्बीर अली बोहरा को एम.जी. रोड दुकान नं. 01 साईज 220 व. फु, आवंटित है।

उपरोक्त के द्वारा अपने भूखण्ड/भवन / दुकान मध्यप्रदेश नगर पालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम 2016 के नियम 20 अनुसार पट्टाधृति अधिकारों को भू स्वामी के अधिकार में परिवर्तन करने के संबंध में इस कार्यालय में नियत प्रारूप में पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत किए है।

उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय साक्ष्य के साथ 15 दिवस में प्रस्तुत कर सकते है। बाद अवधि किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद खरगोन